कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक /1–12(7) देहरादून दिनांक, 20, अक्टूबर, 2016.

स्थायी आदेश

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के **पत्रांक 2380/10–8 दिनांक 29.06.2004** से, वन क्षेत्राधिकारियों की अनुपलब्धता/कमी की स्थिति में, उप वन क्षेत्राधिकारियों को प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी के रूप में तैनाती दिये जाने का दायित्व संबंधित मण्डलीय मुख्य वन संरक्षकों को प्रदत्त किया गया था। पुनः कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के **पत्रांक क–2175/1–12(28) दिनांक 06.04.2010** से उक्त प्रकिया जारी रखने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

मण्डलीय मुख्य वन संरक्षकों द्वारा प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी के रूप में तैनाती दिये जाने से, एक मण्डल के कनिष्ठ उप वन क्षेत्राधिकारियों को रेंज का प्रभार मिलने तथा दूसरे मण्डल के तुलनात्मक रूप से ज्येष्ठ उप वन क्षेत्राधिकारियों के रेंज के प्रभार से वंचित रह जाने की परिस्थितियॉ उत्पन्न हो रही हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में वन दरोगा व उप वन क्षेत्राधिकारी के पदों पर पदोन्नतियॉ व तैनाती भी राज्य स्तर की ज्येष्ठता के आधार पर की जा रही हैं।

अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के **पत्रांक 2380/10–8 दिनांक 29.06.2004 व पत्रांक क–2175/1–12(28) दिनांक 06.04.2010** को **अतिकमित करते हुए निम्न व्यवस्था** निर्धारित की जाती है। आवश्यकतानुसार प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी के रूप में तैनाती, उप वन क्षेत्राधिकारियों की राज्य स्तर की ज्येष्ठता के आधार पर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड (HoFF) की अध्यक्षता में **गठित निम्न समिति की संस्तुति के आधार पर प्रत्येक वर्ष माह अगस्त–सितम्बर में** प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड (HoFF) के स्तर से की जायेगी –

1.	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून (HoFF)	– अध्यक्ष
2.	प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड	– सदस्य
3.	अपर प्रमुख वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून	– सदस्य सचिव /प्रस्तुतकर्ता
4.	मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी	– सदस्य
5.	मुख्य वन संरक्षक, शिवालिक, उत्तराखण्ड, देहरादून	– सदस्य
6.	मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊॅ, उत्तराखण्ड, नैनीताल	– सदस्य

प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी के रूप में चयनित कार्मिक के अतिरिक्त अन्य किसी उप वन क्षेत्राधिकारी/वन दरोगा को रेंज का प्रभार कदापि न दिया जाये।

(राजेन्द्र कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक : क- 708 (1)/1–12(7) तददिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. समिति के सदस्यों को।
2. उप वन संरक्षक, आई0टी0 सेल को उक्त स्थायी आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(राजेन्द्र कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।